आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 180/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड) पता–19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स रवि विद्या मंदिर शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री शंकर लाल मीणा, पता–ग्राम दहर, पोस्ट यार्लिपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. श्री शंकर लाल मीणा पुत्र श्री हर सहाय मीणा, पता–प्लाट नम्बर 67, गोकुल विहार, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर।
3. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री शंकर लाल मीणा, पता– 35, भाटावाली ढाणी, दहर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. श्री प्रहलाद नारायण मीणा पुत्र श्री गुल्ला राम मीणा, पता–35, भाटावाली ढाणी, दहर, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :–
1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री अतुल दीक्षित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश दिनांक 28.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शंकर लाल मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 67, स्कीम गोकुल विहार–ए, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर 30,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल दीक्षित ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि 30,00,000/– रूपये के ऋण के मुकाबले 42,00,000/–रूपये जमा कराये जा चुके है।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भली भाँति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई का क्षेत्रधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 30,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय सस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि रूपये 11,26,861/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitization and Econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री शंकर लाल मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा के स्वामित्व की बन्धक सम्पति प्लॉट नं. 67, स्कीम गोकुल विहार–ए, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय सस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर